जनपद बाराबंकी

दिनांक 28.04.2025

गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध में संलिप्त अभियुक्त के विरुद्ध बाराबंकी पुलिस द्वारा जिला बदर (जिले से निष्कासित) की कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय द्वारा जनपद में गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त व गुण्डा/अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गुण्डा एवं अभ्यस्त अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित कर श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी।

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभ्यस्त अपराधी सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश निवासी ग्राम डडियामऊ थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किये गए तथा साथ ही अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है।

इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी न्यायिक बाराबंकी में चल रहे वाद संख्या 4155/2022 सरकार बनाम सुनील कुमार अंतर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अधिनियम के अभियुक्त/अभ्यस्त अपराधी अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त को जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा निर्गत आदेश की मूल प्रति तामीला/हस्ताक्षर करवाकर मुनादी कराते हुए उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित की कार्यवाही की गई। साथ ही हिदायत दी गई कि यदि अभियुक्त सुनील उपरोक्त आज दिनांक 28.04.2025 से अग्रिम 06 माह तक जनपद बाराबंकी की सीमा से निष्कासित आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध अंतर्गत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुन्डा नियन्त्रण अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 607/2022 धारा 323/504/506/325 भादवि
2. मु0अ0सं0 316/2022 धारा 323/506/452 भादवि
3. मु0अ0सं0 81/2021 धारा 447/448/504/506 भादवि
4. मु0अ0सं0 372/2020 धारा 323/504/506 भादवि